न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, IAS

पत्रावली संख्या : 102/19 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2019/00369

अनवान्

1. श्री नाथुसिंह पिता जोधसिंह राजपूत निवासी सालेराखुर्द तह. मावली।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री भभूतसिंह पिता मोहनसिंह चदाना राजपूत निवासी सालेराखुर्द तह. मावली।
2. श्रीमती मोतीबाई उर्फ मोडीबाई बेवा मोहनसिंह चदाना राजपूत निवासी सालेराखुर्द तह. मावली।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 02.03.2021

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सालेराखुर्द पटवार हल्का लोपडा के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 434, 585, 639, 1054/194 किता 18 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थी एवं प्रतापसिंह के नाम संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा, आराजी नम्बर 585, 639 को छोड कर शेष आराजीयात में विपक्षी सं. 1 के नाम 6/21 हिस्सा, विपक्षी सं. 2 के नाम 1/21 हिस्सा, आराजी नम्बर 585, 639 में सुन्दरबाई के नाम 1/3 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 189, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 601, 612, 613, 621, 1098/614 किता 12 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात मुझ प्रार्थी एवं प्रतापसिंह के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, आराजी नम्बर 612, 613, 1098/614 को छोड कर शेष आराजीयात में विपक्षी सं. 1 के नाम 7/24 हिस्सा, विपक्षी सं. 2 के नाम 1/24 हिस्सा, आराजी नम्बर 612, 613, 1098/614 में हरकुबाई के नाम 1/3 हिस्सा, उमेदसिंह के नाम 1/3 हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से दर्ज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.10 13:46:21 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है लेकिन मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण व अन्य सहखातेदारान के मध्य वर्षों पूर्व ही अर्थात बाप दादाओं के समय से ही अपने–अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का मौके पर बंटवाडा किया हुआ है जिससे मैं प्राथी भी अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का मौके पर बंटवाडा किया हुआ है जिससे मैं प्रार्थी भी अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होकर निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं तथा विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार भी उनके हक हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं।
3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का मौके पर कई वर्षों पहले ही बंटवाडा कर रखा है लेकिन उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से मुझ प्रार्थी को अपने हिस्सा भूमि को और अधिक विकसित करने हेतु बैंक से ऋण आदि लेने, भूमि का विकास करने, चार दिवारी करने इत्यादि में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात का मुझ प्रार्थी एवं विपक्षीगण व अन्य सहखातेदार के मध्य मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाडा कराया जाना आवश्यक हैं इसलिए मुझ प्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।
4. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात का वर्षों पूर्व ही अर्थात् पूर्वजों के समय ही मौके पर बंटवाडा किया हुआ है और बंटवाडें अनुसार मैं प्रार्थी वर्षों से अपने हिस्से की भूमि पर अपने परिवारजन सहित काबिज हो शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा हुं तथा मुझ प्रार्थी ने अपने हिस्से कब्जे की जमीन पर लाखों रूपयों का खर्चा कर जमीन को आवादान किया है जिसमें विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। लेकिन विपक्षीगण आये दिन मुझ प्रार्थी को मेरी जमीनों पर आवागमन करने में व्यवधान पैदा करते है और मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक नहीं करने दे रहे है और जोर जबरदस्ती मुझ प्रार्थी के हिस्से कब्जे की जमीन पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है तथा मैं प्रार्थी अपने हिस्से कब्जे की जमीन पर कृषि कार्य करने जाता आता हुं तो भी विपक्षीगण मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजनों के साथ व्यर्थ का विवाद करते है और नुकसान पहुंचाते है। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। मुझ प्रार्थी ने कई मर्तबा विपक्षीगण को ऐसा करने से मना किया तो विपक्षीगण नहीं माने [illegible] प्रार्थी के साथ लडाई झगडा कर विवाद करने पर आमादा हुए। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हुं कि विपक्षीगण प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.10 13:46:21 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी की जमीन पर आवागमन करने में रूकावट पैदा नहीं करें, प्रार्थी के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, प्रार्थी के हिस्से कब्जे की जमीन पर अनाधिकार रूप से कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावें, उक्त कार्य न स्वयं करें, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 19.11.19 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने मुझ प्रार्थी को मेरे कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करने में व्यधान उत्पन्न किया और मना करने पर भी नहीं मानें। जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 19.11.19 को उत्पन्न हाकर निरन्तर जारी हैं।

6. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षीगण प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी की जमीन पर आवागमन करने में रूकावट पैदा नहीं करे, प्रार्थी के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, निर्माण कार्य नहीं करें, कब्जा नहीं करें, प्रवेश नहीं करें, उक्त कार्य न स्वयं करें, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन के मार्फत ही करावें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

8. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] सबूतात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.10 13:46:21 IST
Reason: SelfAttested

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी, विपक्षी सं. 1, 2 व अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रकरण में प्रार्थी विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।
2. *सुविधा का संतुलन–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 2 दोनो ही खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित हुआ हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व निर्णित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 2 दोनो ही खातेदार काश्तकार है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित हुआ हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरूद्व साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर बगौर मनन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 से 2 एवं अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति होकर उनके बाप–दादाओं के समय से चली आना बताया है। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया है उसी के साथ यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। चूंकि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 से 2 दोनों ही खातेदार काश्तकार हैं। भूमि शामलाती होने से प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता हैं। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाहकर मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद कराये जाने का निवेदन किया हैं जबकि प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षीगण दोनों ही खातेदार काश्तकार हैं। उभय पक्ष उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि उभय पक्षकारान की सामलाती कृषि भूमि हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदारों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व साबित हुए है। ऐसी स्थिति में विपक्षी खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.10 13:46:21 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.10 13:46:21 IST
Reason: SelfAttested